न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/02/2026	2026/7	14.01.2026	08.04.2026

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भैरूराम उर्फ सगडाराम, जाति सैनी, निवासी धोबी घट्टा, दाई की गुमटी के पास, अलवर, जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 88 निर्णय दिनांक 01.06.1998 तहसीलदार अलवर, जिला अलवर (राज0)

उपस्थितः—
01—श्री जगदीश सैनी —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेण्ट

—:निर्णय:—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.1998 नामान्तकरण संख्या 88 वाके ग्राम दिवाकरी, तहसील व जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो० को जरिये सम्मन तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मिन अपीलान्ट को पूर्व में इन्तकाल में मिन अपीलान्ट के सही नाम का अंकन होने की जानकारी दिनांक 26.12.2025 को उक्त नामान्तकरण में दर्ज आराजी का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो उसने बताया कि तुम्हारा जमाबन्दी में सही नाम नरेन्द्र कुमार दर्ज ना होकर तुम्हारे नाम नरेन्द्र कुमार के स्थान पर जमाबन्दी में छोटेलाल दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकॉर्ड नामान्तकरण आदि का अपने वकील साहब से अवलोकन करवाया तो वकील साहब ने बताया कि तुम्हारा नाम इन्तकाल नम्बर 88 में छोटेलाल दर्ज हो गया है, जिस पर जानकारी होते ही दिनांक 29.12.2025 को नामान्तकरण संख्या 88 व अन्य राजस्व रिकॉर्ड की नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश करवाया, जिस पर अपील तैयार करवा कर तारीख जानकारी से अपील बिना देरी के अन्दर अवधि पेश की जा रही है, अपील करने में जो विलम्ब हुआ है, वह अपीलान्ट को गलत इन्तकाल की जानकारी नहीं होने के कारण व्यतीत हुआ है, जो नेक नियति व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिये जाने योग्य है जिस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम अलग से पेश है।

मिन अपीलान्ट के पिताजी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 554 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर वाके ग्राम दीवाकरी, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान में स्थित है। मिन प्रार्थी के पिता श्री भैरूराम उर्फ सगडाराम पुत्र श्री सोन्याराम सैनी, जाति सैनी, निवासी अलवर का स्वर्गवास दिनांक 17.1.98 को हो चुका है। अपीलान्ट के पिता स्व. श्री भैरूराम उर्फ सगडाराम मृत्यु होने पर राजस्व

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रिकॉर्ड में अपीलान्ट के पिताजी की मृत्यु की ऐवज में नामान्तकरण चढवाने (दर्ज) करवाने गये तब भैरूराम उर्फ सगडाराम के सभी वारिसान का नाम नामान्तकरण में दर्ज हो गया और जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 में खाता संख्या 87 पर सगडाराम उर्फ भैरूराम के नाम के आगे नोट नामान्तकरण संख्या 88 के वारिस में मिन प्रार्थी का नाम छोटेलाल दर्ज हो गया है, जबकि मिन प्रार्थी का सही नाम नरेन्द्र कुमार है। मिन प्रार्थी का छोटेलाल के नाम से नामान्तकरण गलत नाम का इन्द्राज दर्ज कर दिया गया, परन्तु अधिकारियों की गलती एवं लापरवाही के कारण नामान्तकरण दर्ज होने के के समय की जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 में मिन अपीलान्ट के सही नाम नरेन्द्र कुमार की जगह छोटेलाल का नाम जमाबन्दी में अमल कर दिया गया है। परन्तु जिसको रिकॉर्ड में दुरूस्त फरमाया जाकर मिन प्रार्थी के सही नाम नामान्तकरण के नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर न्यायहित में आवश्यक है।

उपरोक्त नामान्तकरण दुरूस्त नहीं किया गया व राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती नहीं की गई तो अपीलान्ट के हकूक जायल होगें तथा अपीलान्ट को सरकारी नीतियों का फायदा नहीं मिलेगा तथा अपीलान्ट के फौत होने पर उसका विरास्त का नामान्तकरण भी अपीलान्ट के वारिसान के नाम दर्ज होकर फैसल नहीं होगा। इसलिए दुरूस्ती हेतु यह अपील पेश है। अपीलान्ट स्वयं के सही नाम के बाबत अपना आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात पेश किये हैं। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण 88 में अपीलान्ट का सही नाम नरेन्द्र कुमार का अंकन किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जाने की कृपा करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राजस्थान द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.1998 नामान्तकरण विरासत संख्या 88 ग्राम दिवाकरी, तहसील व जिला अलवर विरासत मृतक भैरूराम उर्फ सगडाराम पुत्र सोन्याराम सैनी, संशोधित कर उक्त आज्ञा में दर्ज अपीलान्ट का नाम "छोटेलाल" को कलमजन कर उसके स्थान पर अपीलान्ट का वास्तविक नाम 'नरेन्द्र कुमार पुत्र भैरूराम उर्फ सगडाराम' शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.1998 के विरूद्ध दिनांक 14.01.2026 को पेश की गयी है जो करीब 27 साल 06 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित दृष्टांतों में यह सिद्धांत स्थापित है कि यदि आदेश पीड़ित पक्षकार को सुने बिना तथा गलत तथ्यों के आधार पर पारित हुआ हो, तथा संबंधित व्यक्ति को आदेश की वास्तविक जानकारी बाद में प्राप्त हुई हो, तो विलम्ब के प्रश्न पर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना न्यायसंगत माना गया है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, वोटर आईडी, जनआधार, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र जैसे पुख्ता राजकीय दस्तावेजों से यह

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि अपीलाण्ट का सही नाम 'नरेन्द्र कुमार' है। राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धता बनाए रखना न्याय व्यवस्था की मूल भावना है। अपीलाण्ट ने अपने वास्तविक एवं सही नाम 'नरेन्द्र कुमार' की पुष्टि हेतु वैधानिक पहचान संबंधी दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं। इनमें मुख्य रूप से आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस एवं जनआधार कार्ड जिसमें अपीलाण्ट का नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र भैरूराम दर्ज है। दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह निर्विवाद रूप से साबित होता है कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम 'नरेन्द्र कुमार' है और किसी भी राजकीय अभिलेख में 'छोटेलाल' नाम का अस्तित्व नहीं है। अतः नामान्तकरण में दर्ज प्रविष्टि पूर्णतः एक लिपिकीय भूल है जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार अलवर द्वारा पारित निर्णय/नामान्तकरण संख्या 88 वाके ग्राम दिवाकरी दिनांक 01.06.1998 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सभी पहचान संबंधित दस्तावेजों का भली–भांति अवलोकन कर विवादित नामान्तकरण में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम 'छोटेलाल' को कलमजन (हटाकर) कर उसका सही नाम 'नरेन्द्र कुमार पुत्र भैरूराम उर्फ सगडाराम' का अंकन कर नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)